कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–6/राज. विज्ञान/स्थानान्तरण/2020–21/1–805 दिनांक–04.01.2021 के द्वारा श्रीमती अनिता गोयनका व्याख्याता, राजनीति विज्ञान श्रीमती गीगी देवी दुर्गादत्त जटिया राबाउमावि बिसाऊ, झुंझुनुं का स्थानांतरण राउमावि गाडराता, खेतड़ी, झुंझुनुं किया गया। अनिता गोयनका ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 294/2021 अनिता गोयनका बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की।

अपील संख्या 294/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.01.2021 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 20 दिवस की अवधि में एक अख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दिये जाने के आदेश प्रदान किये हैं।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी अनिता गोयनका द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करं स्थानान्तरित स्थान 150 किमी दूर होने, अल्पायु बच्चे के देखभाल की जिम्मेवारी स्वयं पर होने, पति का निजी सेवा में जयपुर में ही कार्यरत होने के आधार पर अपना पदस्थापन/समायोजन रा. बागला उमावि चूरू की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गहनता से परीक्षण व मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अपीलार्थी का स्थानांतरण झुंझुनुं जिले में ही किया गया है किसी अन्य जिले में नहीं। यह विधि सुस्थापित सिद्वांत है कि किसी भी लोक सेवक द्वारा अपने इच्छित स्थान की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/अभ्यावेदन/ अ. 294/2021 दिनांकः–05/02/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1.संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग ....।
2.संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा...........................।
3.मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा ....।
4.जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर....................................।
5.विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6.सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7.संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि/राबाउमावि ....।
8.गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)